जनपद आगरा में मै0 इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि0. आगरा टर्मिनल एत्मादपुर में नये एथेनॉल एवं बायो डीजल के स्टोरेज हेतु प्रस्तावित नये टैंक्स की स्थापना हेतु अपर जिलाधिकारी(नगर), आगरा की अध्यक्षता में दिनांक 06.08.2018 को अपरान्ह 04:00 बजे मै0 इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि0. आगरा टर्मिनल एत्मादपुर में सम्पन्न लोक सुनवाई का कार्यवृत्त।

जनपद आगरा में मै0 इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि0. आगरा टर्मिनल एत्मादपुर में नये एथेनॉल एवं बायो डीजल के स्टोरेज हेतु प्रस्तावित नये टैंक्स की स्थापना हेतु अपर जिलाधिकारी(नगर), आगरा की अध्यक्षता में दिनांक 06.08.2018 को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार लोक सुनवाई सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई की उपस्थिति संलग्न है।

सर्वप्रथम क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित मै0 इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि0. आगरा टर्मिनल एत्मादपुर में नये एथेनॉल एवं बायो डीजल के स्टोरेज हेतु प्रस्तावित नये टैंक्स की स्थापना हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एस0ओ0 1533, दिनांक 14.09.2006 के अर्न्तगत आच्छादित होने के कारण इस लोक सुनवाई हेतु नियमानुसार जनपद आगरा के दों प्रमुख समाचार पत्रों दैनिक जागरण में दिनांक 07.07.201 व हिन्दुस्तान टाइम्स में दिनांक 08.07.2018 को आमसूचना का प्रकाशन कराया गया। पर्यावरणीय दृष्टि से परियोजना के विरोध में कोई लिखित आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुये हैं।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से लोकसुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गई जिसके अर्न्तगत मै0 इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि0. आगरा टर्मिनल एत्मादपुर के टर्मिनल मैनेजर श्री आर0 घोष द्वारा उपस्थित अधिकारीगण एवं जनमानस को संदर्भित परियोजना के सम्बन्ध में संक्षिप्त प्रकाश डाला गया तथा अवगत कराया गया कि इस परियोजना में परिसर में 4 नये टैंक्स का प्रस्ताव दिया है। प्रस्तावित टैंकों में से दो टैंक एथनॉल (क्षमता 2X1000कि0ली0) के और दो टैंक बायो डीजल (क्षमता 2X6000 कि0ली0) के होगें। अभी हम एथनॉल और बायो डीजल पर बात करना चाहते है। जो एथनॉल है, ये पेट्रोल में मिलाया जाता है। पेट्रोल का जब कम्बश्चन(जलाना) होता हैं, तो उसमें ग्रीन गैस पैदा होती है जो हमारे पर्यावरण पर कु–प्रभाव डालती है। ऐथनॉल का भण्डारण हमारे लिए और देश के लिए बहुत ही प्रयोजनीय है। ऐथनॉल का भण्डारण दो टैंक में किया जाना है, जो कि एक एक हजार किलो लीटर क्षमता के बनाये जाने हैं। इसके अंदर टैंक बनाने के सिवा कोई बदलाव नहीं करना है। जिसमें पॉवर की जरूरत ज्यादा नहीं होगी एवं कोई प्रदूषण का इफैक्ट नहीं होगा। आगरा शहर स्मार्ट बनने जा रहा है, उसी प्रकार आगरा टर्मिनल स्मार्ट बनाया गया है। सब कुछ ऑटोमेशन के जरिये चलता है और सभी सुरक्षा सम्बन्धित जो भी उपकरण है ये सब यहाँ मौजूद है। नियमित रूप से टेस्टिंग की जाती है।

उक्त के पश्चात कन्सल्टेन्ट मै0 वरदान इन्वायरोनेट, गुड़गॉव द्वारा परियोजना का प्रस्तुतिकरण किया गया जिसके मुख्यांश निम्नवत् है:–

Scanned by CamScanner

परियोजना की जरूरत

भारत सरकार के जनदेश को पूरा करने के लिए MS को सवंर्धन 10 प्रतिशत ऐथनॉल मिश्रण सुनिश्चित करने के लिए ऐथनॉल स्टोरेज की आवश्यकता है। जबकि बायो डीजल सुविधा का प्रस्ताव इसकी खरीद को सक्षम करने के लिए किया जाता है। यह भारत सरकार की एक पहल है, जो बहूमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत करेगी।

परियोजना का परिचय

इसमे बताया गया है कि IOCL टर्मिनल में 2000 कि.ली. के अतिरिक्त टैंको के निर्माण के लिए दो टैंक लगाये जायेगें। परियोजना का प्रस्ताव इस लिए रखा गया है कि जैव ईंधन राष्ट्रीय नीति के अनुसार ऊर्जा मंत्रालय ने ऐथनॉल और जैव डीजल दोनो को जैव इंजन के 20 प्रतिशत के मिश्रण के लिए लक्षित किया गया है। परियोजना का प्रस्ताव राष्ट्रीय महत्ता के लिए हैं। प्रदूषण मे कोई भी वृद्धि नहीं है, क्योंकि स्टोरेज टैंक केवल ऊपर की तरफ ही रहेगा।

मौजूदा सुविधाएँ

प्रस्तावित सुविधाओं में दो ऐथनॉल एवं दो बायों डीजल के मिलाकर कुल चार नये टैंक की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। विस्तारीकरण के पश्चात भण्डारण की कुल क्षमता 37295 कि. ली. की हो जायेगी।

प्रकिया का वर्णन

यहाँ पर MS और HSD जैसे सभी उत्पाद पाइपलाइन द्वारा प्राप्त किये जाते है। टर्मिनल पर टैकों के माध्यम से भरने तथा वितरण के माध्यम से समूह एकत्रित किया जाता है। दो टैकों के माध्यम से ऐथनॉल और जैव डीजल प्राप्त करने का प्रस्ताव हुआ है।

बुनियादी आवश्यकता और प्रदूषण

पूर्व से मौजूद 52 एकड़ भूमि पर्याप्त हैं। अलग से भूमि की आवश्यकता नहीं है। बिजली जितनी है उतनी रहेगी। पानी की आवश्यकता जितनी थी उतनी रहेगी। इस वजह से प्रदूषण भी नहीं बढ़ेगा। ठोस और खतरनाक अपशिष्ट कोई भी उत्पन्न नहीं होगा।

कार्यस्थल की तैयारी

परियोजना की नींव के दौरान धूल उत्पन्न होगी, जो कि पानी के छिड़काव से नियंत्रित कर ली जायेगी। IOCL के मानक अभ्यास के अनुसार इन सुविधाओं में पानी की आपूर्ति, स्नान, शौचालय, आरामकक्ष आदि शामिल होगें।

परियोजना के सक्षिप्त प्रस्तुतिकरण के पश्चात प्राप्त निम्नलिखित आपत्ति/सुझाव पर चर्चा की गईः–

नाम – सुबोध शर्मा
निवासी – एत्मादपुर
प्र0 – जो हम बायो डीजल प्राप्त करेगें उसकी सेल कहाँ होगी? क्योंकि कोई एजेन्सी सरकार की ओर से या जिला प्रशासन की ओर से नहीं है। जो उसको खरीदें। दूसरी समस्या है कि हम लोग उससे लाभान्वित कैसे होगें। क्योंकि किसान उसकी ओर तभी आकर्षित होगा जब उसे इस बात की गारण्टी मिले, उसका

Scanned by CamScanner

परिणाम सुखद मिलें, क्योंकि हमारे यहाँ का क्षेत्र आलू का है और आपका ऐथनॉल गन्ने से मिलता है और ये क्षेत्र गन्ने का नहीं है। आलू तीन–चार वर्ष परेशान भी करता है। किसान बहुत कर्जे में आ जाता है। तो हमें आलू का विकल्प चाहिए। सरकार के द्वारा ऐसी कोई एजेन्सी नहीं जो उसके विकल्प के लिए हमें प्रोत्साहित करें। मेरा निवेदन है कि आपके माध्यम से हम कैसे समृद्ध होगें? आपकी ओर से हमें क्या गारण्टी मिलेगी। हमारी इस जिज्ञासा का आप समाधान करें।

उ0– श्री ए0आर0 शाकरी , महाप्रबन्धक प्रभारी (प्रचालन)– इस पर मैं बहुत ज्यादा नहीं बता सकता, मगर बॉयल प्रोडक्ट जितनी आपकी उपज होती है। उन सारी चीजों को हम आयल इण्डस्ट्री के द्वारा खपत नहीं कर सकते। भारत में गन्ना एक ऐसी चीज है जिसमें कि एथॉयल एल्कोहल है इसकी वजह से उसकी बहुत सारी विशेषतायें हमारे पेट्रोलियम से मिलती है। क्योंकि उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है इस लिए उस प्रोडक्ट को पूरे विश्व में सलेक्ट किया गया है इसका डायरेक्ट फायदा आप समझते होगें। 2006 से हम लगातार प्रयास कर रहें है। पहले बहुत ही कम मात्रा में ऐथनॉल होता था और आज 10 साल बाद हम उ. प्र. मे ऐथनॉल मिला रहे है। उसका फायदा पूरे देश को जा रहा है।

नाम – योगेन्द्र सिंह पूर्व प्रधान
निवासी – मितावली
प्र0 – ऐथनॉल गन्ने में मिलता है, गन्ने को पानी की जरूरत होती है, और पानी का स्तर हमारे यहाँ बहुत नीचे चला गया है। हम गन्ने की खेती के लिए प्रयास करते है तो उसको दीमक लग जाती है। जेट्रोपा यानि अण्डी का तेल, तो उसे करने के लिए खपत हो आलू से सन् 2015, 2016, 2017 में बहुत घाटा हुआ है हम चाहेगें स्टोरेज टैंक बने टैंक बन जायेगें तो आप उनको खाली नहीं रखेंगें, हमको कुछ बतोयेंगें।

उ0 – महाप्रबन्धक प्रभारी (प्रचालन)– मैंने पहले भी बताया "Department of Agriculture of India" जेट्रोपा से बायो डीजल चाहती है।

प्र0 – अधिकारी– क्या ऐथनॉल 10 से 20 प्रतिशत पूरे भारत में हो रहा है?

उ0 – महाप्रबन्धक प्रभारी (प्रचालन)– नहीं, यह अभी 5 प्रतिशत है और गन्ना कृषि में 10 प्रतिशत है, उसे हम 20 प्रतिशत ले जायेगें।

नाम – अंकुश
निवासी – एत्मादपुर
प्र0 – मै जानना चाहता हूँ आप जो ऐथनॉल ऑयल लेकर आयेगें, उसे आप पाइपलाइन से या रोड़ से लेकर आयेगें।
उ0 – महाप्रबन्धक प्रभारी (प्रचालन)–ऐथनॉल और बायो डीजल दोनों रोड से होकर आयेगा और ऐथनॉल आज के समय में रोड़ से ही आता है।

नाम – श्रीनिवास
निवासी – बरहन
प्र0 – क्या इस क्षेत्र की जनता को 2–4 साल बाद कुछ फायदा मिलेगा, आज से कुछ साल भी हमने बायो डीजल के पौधे लगाये जो कि स्वयं सूख गये। अब हमें क्या गारण्टी मिलेगी?

Scanned by CamScanner

उ0 – श्री आनन्द बर्मन, उपमहाप्रबन्धक नोएडा – मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नवीनीकरण इसके तहत एक नेशनल बायोफ्यूल पॉलसी दिसम्बर 2009 में आयी है, उसमे कहा गया है कि हम लागों की खपत जो दिन के दिन बढ़ती जा रही है, उसके चलते हम लोगों को जो प्रोडक्ट है, जैसें गन्ना उससे ऐथनॉल बनेगा, जैसे बायो डीजल के लिए जट्रोफा की बात कही गयी है। केन्द्र सरकार उसके लिए एक मिनिमम प्राइस तैयार करेगी। ताकि किसान उसी प्राइस में उसे बेच सकता है और जगह जगह पर प्लांट बनेंगें। अब उसका रिसर्च चल रहा है। जो पॉलिसी है, हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी की एक अच्छी स्कीम है, इसके लिए हम बहुत सारे काम कर रहें हैं।

अपर जिला अधिकारी(नगर) – जो ये बायो डीजल बनाया जा रहा है, यह लेटेस्ट तकनीक हैं, तो मुझे लग रहा है यदि इन्हें पास में ही चीजें मुहैया होगी, तो दूर से नहीं लेना पड़ेगा। गन्ना यहाँ नही होता है तो एथेनॉल बाहर से मंगाना पड़ेगा। निश्चित ही भविष्य में अगर कोई चीज यहाँ मिलेगी तो एत्मादपुर और नजदीक के लोगों को प्राथमिकता दी जायेगी। भारत सरकार द्वारा यह एक बड़ा ही महत्वाकांक्षी प्राजेक्ट है। चूंकि हम देखते है कि पेट्रोल एवं डीजल से प्रदूषण भी होता है और हमारा क्षेत्र भी टीटीजेड क्षेत्र है, हमें प्रदूषण स्तर कम करना है तो यह बहुत अच्छा विकल्प है। यह उस तरह का प्रदूषण नहीं है जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुँचायेगा। इण्डियन ऑयल जो बायो डीजल का प्रयोग करने जा रहें है, वह बहुत ही अच्छा रहेगा और भविष्य भी उज्जवल रहेगा।

नाम – योगेन्द्र सिंह पूर्व प्रधान
निवासी – मितावली

प्र0 – मैं एडीएम साहब से व्यक्तिगत विनती करना चाहूँगा, गन्ना आज से 20–25 साल पहले हमारे क्षेत्र में बहुत था गन्ना हमसे दूर नहीं गया लेकिन मैं देखा करता था, जो नहर/बम्बे है उनमें लगातार बरसात के समय में 4 महीने पानी चलता था। क्योंकि हमारे क्षेत्र के किसान बहुत अच्छे है, भले है, अपनी माँग को कायदे से करते है। मैं सभी किसानों की तरफ़ से विनती करना चाहूँगा कि सिचाई विभाग अधिकारियों को बुलाकर ये देख लें कि हर जगह पानी बहुत अधिक है। लेकिन किसी भी नहर या बम्बे में एत्मादपुर विधानसभा में पानी एक भी बूँद नहीं है। अगर आज पानी होगा तो वॉटर लेबल बढ़ जायेगा। हमें गन्ने से कोई ऐतराज नहीं है, हर कार्य में हम आपका सहयोग करेगें।

उ0 – अपर जिलाधिकारी(नगर) – मैं निश्चित ही बात करूंगा और जिला स्तर पर सिचाई विभाग के अधिकारियों को बुलाकर एक गोष्ठी आयोजित कराई जायेगी जिसमें आपको भी आमंत्रित किया जायेगा। कि जो हमारी नहरें हैं वे सूखी न रहें उनमें लगातार पानी रहें। मुझे भी लगता है कि ये जो नहरों में पानी बना रहेगा तो हरियाली व पर्यावरण अच्छा हो जायेगा। मैं निःसदेंह प्रयास करूँगा।

प्र0 – क्षेत्रीय अधिकारी– परियोजना द्वारा टैंक की सफाई के उपरान्त जनित स्लज का निस्तारण किस प्राकर किया जायेगा?

उ0 –श्री आर घोष– जनित स्लज को टी0एस0डी0एफ0 के द्वारा निस्तारित किया जायेगा।

प्र0 –क्षेत्रीय अधिकारी– कन्सल्टेन्ट द्वारा ई0आई0ए0 में दिनांक 01.12.2017 से 28.02.2018 तक की स्टडी में कौन से पैरामीटर लिए गए हैं?

उ0 –वरदान कन्सल्टेन्ट–विभाग को प्रेषित ई0आई0ए0 में समस्त विवरण उपलब्ध कराये गये हैं।

Scanned by CamScanner

लोकसुनवाई के उपरान्त अपरजिलाधिकारी (नगर), आगरा द्वारा उपरोक्त वर्णित आश्वासन/सहमति के आधार पर शत प्रतिशत अनुपालन किये जाने की शर्त के साथ परियोजना के कियान्वयन हेतु सहमति प्रदान की गई। उक्त के आधार पर लोक सुनवाई सदन द्वारा सर्वसम्मति के साथ निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रस्ताव अग्रसारित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है:-

1. राज्य पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण से पर्यावरणीय स्वीकृति, टी0टी0जेड0 अथॉरिटी से अनुमति एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्राप्त किये बिना परियोजना पर निर्माण कार्य प्रारम्भ न किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा सम्बन्धित विभागों से नियमानुसार अनापत्ति/क्लीयरेंस प्राप्त कर ली जाए।
3. वृक्षों के पातन की दशा में नियमानुसार मा0 सर्वोच्च न्यायालय से यथावश्यकतानुसार अनुमति प्राप्त की जाए।
4. परियोजना हेतु पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन के दृष्टिगत ही विकास कार्य कराया जायें।
5. निमार्ण के समय होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिनांक 25.01.2018 को जारी नोटिफिकेशन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
6. यह सुनवाई केवल प्रस्तावित मै0 इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि0. आगरा टर्मिनल एत्मादपुर में नये एथेनॉल एवं बायो डीजल के स्टोरेज हेतु प्रस्तावित नये टैंक्स की स्थापना हेतु है तथा इसके अंतर्गत अन्य कार्य आदि के लिए पृथक रूप से आवश्यकतानुसार अनुमतियॉ/क्लीरेंस प्राप्त किया जाए।
7. जनपद आगरा एवं सम्पूर्ण परियोजना स्थल टी0टी0जेड0 के अर्न्तगत स्थित है एवं परियोजना की स्थापना/संचालने मा0 सर्वोच्च न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण एवं टी0टी0जेड0 अथॉरिटी द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेश/निर्देश के अनुसार ही की जायेगी।

अंत में सभी उपस्थित सदस्यों एवं जनमानस का अभार प्रकट करते हुए लोक सुनवाई सम्पन्न हुई।

संलग्नक:- वीडियो सीडी।

Atulesh Yadav 06/08/18

(अतुलेश यादव)
क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
आगरा।

6/8/18

(के0पी0 सिंह)
अपर जिलाधिकारी (नगर),
आगरा।

Scanned by CamScanner